International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)
E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

भारत में महिला उत्पीड़न और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण

नीतू बाला आर्य

सहायक आचार्य (गेस्ट फैकेल्टी)– समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, बूँदी

भारतीय समाज में महिलाओं को सदैव सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया है। हालांकि, समान अधिकारों की बात करना और उन्हें वास्तव में प्रदान करना दो अलग–अलग बातें हैं। आजादी से पहले की तुलना में महिलाओं के अधिकारों और स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आधुनिक समय में महिलाएं अधिक शिक्षित और स्वतंत्र हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर अत्याचार और शोषण की घटनाएं लगातार बनी हुई हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अभी भी अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस शोधपत्र में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण की वास्तविक स्थिति को समझने और उसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

कूटशब्दः उत्पीड़न, शोषण,सामाजिक स्थिति, महिलाओं, भारतीय समाज, आमूल परिवर्तन

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों में महिलाओं को अर्द्धांगिनी, गृहस्वामिनी, एवं देवी जैसे महिमामंडित उपाधियों से अलंकृत किया गया है। हालांकि, व्यावहारिक दृष्टि से यह सम्मान उन्हें वास्तविक जीवन में कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ।स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए, और इन परिवर्तनों का प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ा। स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं का शैक्षिक स्तर मात्र 8% था, जो वर्तमान समय में बढ़कर 54% तक पहुँच गया है। इसके बावजूद, धर्मशास्त्रों की व्याख्या के नाम पर अन्यायपूर्ण परंपराओं, कुरीतियों, और प्रथाओं का बोझ आज भी महिलाओं पर बना हुआ है। इस स्थिति ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अपेक्षित सुधार और प्रगति को बाधित किया है। इस शोध का उद्देश्य महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण की वास्तविक स्थिति को समझना और इस संदर्भ में समाज में व्याप्त समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना है।

घरेलू हिंसा क्या है?

त्रिपाठी (2006) ने घरेलू हिंसा की परिभाषा अधिनियमों के आाधार पर इस प्रकार दी है– अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यथी का कोई कार्य, लोप या किसी काम का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह –

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुँचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी

ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अन्तर्गत शरीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है।

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से, व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुँचाता है या संकटापन्न करता है;

या

(ग) किसी खण्ड (क) या खण्ड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है;

या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुँचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

आहूजा (2010) के अनुसार – "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विवाह के सन्दर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि पति, जिसके लिए यह समझा जाता है, कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे पीटता है। एक स्त्री के लिए उस आदमी द्वारा पीटा जाना, जिस पर वह सर्वाधिक विष्वास करती थी, एक छिन्न–भिन्न करने वाला अनुभव होता है, हिंसा चांटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोषिष और हत्या तक हो सकी है"।

यादव (2010) के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति है–

- कामवासना के उद्देष्य से की गई हिंसा।
- आपराधिक मानसिकता।
- परिवार की आर्थिक तंगी और तनावपूर्ण वातावरण।
- सम्पत्ति को ध्येय में रखकर की गई हिंसा।
- पुरुषों के झूठे अहम् का वहम आदि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को अंजाम देने वाले

प्रायः वे होते हैं, जो –

1. हीनभावना से अवसादग्रस्त होते हैं,
2. मानसिक रूप से कमजोर होते हैं अथवा मनोरागी होते हैं,
3. जिनका जीवन अभाव में गुजरता है,
4. बचपन में हिसंक वातावरण में पले–बढ़े हो,
5. शराबी,
6. शंकालु स्वभाव के होते हैं आदि।

इस प्रकार घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो

असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिसां के दायरे में शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरूष को अभियोजित कर सकती है अर्थात् उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।

स्वाधीनता के पश्चात् की स्थिति

स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में षिक्षा के फैलाव और महिलाओं में धीरे–धीरे बढ़ती हुई, आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब हिंसा की षिकार हैं, उनको पीटा जाता है। पूरे विष्व में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में उत्तरोत्तर वॄद्धि होती जा रही है, भारत में महिलओं के साथ होने वाले अपराध प्रति 20 प्रतिषत बढ़ते जाते हैं। देष में जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती है हमारी सामाजिक सरंचना की कमजोरी कहें या बाहरी डर जिसके कारण, महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा या अपराधें को पारिवारिक और सामाजिक मर्यादा के कारण चुपचाप सह लेती हैं और इसे सगे सम्बन्धियों तक छुपा लेती हैंए इसे ही अपना धर्म मान लेती हैं, तथा इससे सम्बन्धित संस्था में दर्ज कराना उचित नहीं समझतीं। पीड़ित महिला से उल्टे–सीधे सवाल, झिझक, लाज, शर्म, भय आदि के करण महिला उत्पीड़न की कुछ घटनाएं पुलिस थाने में दर्ज नहीं की जाती, तो कुछ समझा–बुझाकर या ले–देकर रफा–दफा कर दी जाती हैं। घरेलू हिंसा, दहेज आदि के मामले में घर की समस्या घर में ही सुलझ जाएं इसके लिए पुलिस काउन्सलिंग करती हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि महिलाओं के पास कोई दूसरा चारा या विकल्प नहीं होता है। अतः समझौता करवाया जाता है।

तलिका 1: महिलाओं का प्रभावित करने वाले अपराधों की सूची

क्र. सं.	अपराध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा	अधिकतम सजा
1	दहेज मृत्यु	304 बी	आजीवन कारावास
2	आत्महत्या के लिए दबाव डालना	306	10 वर्ष
3	कत्ल करने की कोशिश	307	आजीवन कारावास
4	मार–पीट गम्भीर चोट पहुँचाना	319, 323	3 माह से 7 वर्ष
5	औरत की शालीनता भंग करने की मंषा से हिंसा या जबरदस्ती करना	354	2 वर्ष
6	पति या उसे रिष्तेदारों द्वारा औरत पर क्रूरता	498–ए	3 वर्ष
7	बेइज्ज़ती करना, झूठे आरोप लगाना	499	
8	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपषब्द कहना या अश्लील हरकतें करना	509	
9	ऐसे कार्य करना जिनमें दूसरों की	334, 336, 338	3 माह से नरम

	सुरक्षा और जीवन पर खतरा उत्पन्न हो	336	7 माह से कठोर
10	नज़रबन्द रखना (साधरण या 10 दिन से अधिक)	340	3 वर्ष
		344	7 वर्ष

हांलाकि सर्वोच्च न्यायालय के दिषा–निर्देष के अनुसार बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध बनाना, शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आग्रह या माँग, अपशब्द का प्रयोग, अश्लील चित्र या फिल्म दिखाना, कोई भी शारीरिक, शाब्दिक या अशाब्दिक अष्लील हरकतें, लैंगिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। भारतीय दण्डसंहिता की धारा 354 में महिलाओं के शील के आघात को संज्ञेय अपराध माना गया है तथा इसके लिए दो वर्ष का कारावास तथा आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। जहाँ पुलिस इस तरह के मामलों को सामान्य कह कर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, वहीं कुछ महिलाएं अपने भविष्य तथा परिवार की मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए इसे छुपा लेती है। यहीं नहीं कुछ मामले दर्ज होने के बावजूद न्याकि विलम्ब के कारण अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाते और दोषी सजा पाने से मुक्त हो जाता है।

सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन

पतियों द्वारा अपनी पत्नियों पर किए जा रहें, हिंसात्मक व्यवहार का अध्ययन अनेक विकसित एवं विकासशील देशों में हुए हैं, अध्ययन में यह पाया गया है कि, बहुत अधिक प्रतिशत में पत्नियाँ विश्व के सभी देषों में मारी–पीटी जाती हैं। भारत में इस क्षेत्र के अध्ययन का काफी अभाव है। वर्तमान शोध के सैद्धान्तिक एवं पद्धति समस्याओं को उचित प्रकार से समझने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण शोध अध्ययनों की व्याख्या की जा सकती है :

श्रीवास्तव (1988) का कहना है कि हिंसा की सांग्रमिक परिभाषा का अभी तक अभाव है, इसमें महिलाओं के विरोध में सभी प्रकार की हिंसा सम्मिलित है। मुझे लगता है, कि वे सभी स्थितियाँ जिसमें शारीरिक चोट, मौखिक गालियाँ, डराना–धमकाना, फटकार, महिलाओं को छेड़ना, भेद–भाव, उपेक्षा, ये सभी महिलाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है। अतः ये सभी महिलाओं के प्रति हिंसा है। यद्यपि इनमें शारीरिक चोट न हो तो भी वे मनोवैज्ञानिक चोट पहुँचाते हैं और महिला के व्यक्तित्व का विनाष करते हैं।

सिन्हा (1989) ने बताया कि पितृसत्तात्मक परिवारों में पुरुषों के पास शक्ति होती है और इसी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ, पुरुष अपनी पत्नियों के साथ हिंसा करते हैं। पुरुषों को एकाधिकार के रूप में प्राप्त शक्ति ही हिंसा का प्रमुख कारण है।

सिन्हा (1989 इ) ने महिलाओं के उत्पीड़न में कहा है कि शारीरिक उत्पीड़न के साथ–साथ मानसिक उत्पीड़न भी सम्मिलित हैं, जो उत्पीड़न का महत्त्वपूर्ण भाग है।

जैन (2018) ने घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकारः गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश महिलाएं यह मानती हैं कि अशिक्षित होना और लिंग भेदभाव का होना महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के

लिए प्रमुख कारण है। अधिकांश महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति बहुत कम जानकारी रखती हैं। परिवारों के लड़कों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। उन्हें सभी ऐसे गलत कार्य करने की छूट दी जाती है जो कि नैतिक रूप से गलत होते हैं। जिनका परिणाम हमें हिंसा, बलात्कार जैसे रूपों में देखने को मिलता है।

रॉय एवं अन्य (2015) ने अपने शोध 'क्राइम अगेंस्ट वुमन' का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है, कि सरकार और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद भी पत्नियों के साथ की जा रही घरेलू हिंसा की मामलों में कमी नहीं आई है और यह समस्या सभी वर्ग, जाति, धर्म और सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति की महिलाओं में देखने को मिलती है।

सिंह एवं विश्नोई (2015) के 'आजमगढ़ जनपद में महिलाओं एवं लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्राय आजमगढ़ जनपद के सन्दर्भ में' अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक घरेलू हिंसा का षिकार निम्न साामाजिक–आर्थिक स्थिति की महिलाएं होती हैं। अधिकांष महिलाएं कम शैक्षिक योग्यता को घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण मानती हैं। अतः महिलाओं को उच्च षिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवष्यक है।

शियाकंड (2017) ने 'क्राइम अगेंस्ट वुमन; प्रोब्लम एण्ड सजेषन : ए केस स्टडी ऑफ इण्डिया' के अध्ययन में समकालीन भारतीय समाज में विशेष रूप से दिल्ली बलात्कार मामले के संदर्भ में महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों की मुख्य व्याख्या की है। शोध निष्कर्ष के रूप में बताया की केन्द्र और राज्य सरकारों के अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, दहेज हत्या, यौन–उत्पीड़न, लड़कियों को बेचना, छेड़छाड़ आदि अपराधों में कमी नहीं आई हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए महिलाओं में प्रभावी और कुषल भारतीय पुलिस प्रणाली और सरकार के विधायी उपायों के प्रति जागरुकता पैदा करना सर्वोत्तम उपाय है।

विसेन्ट एवं अन्य (2019) ने 'क्राइम अगेंस्ट वुमन इन इण्डिया अनवैलिंग स्पाटिअल पैटर्न टैम्पोरल ट्रेन्डस ऑफ डाउरी डेथ्स इन द् डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेष' के अध्ययन में स्पष्ट किया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव और हिंसा इतनी बढ़ गई है कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने उच्च प्रभाव वाली स्वास्थ्य समस्या की सूची में शामिल किया है। 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में दहेज से संबंधित मृत्युओं के बदलते स्थानिक स्वरूप विष्लेषण अध्ययन म ें किया गया है। पूर्व में किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के मामलो में कोई कमी नहीं आई है।

शिवानी (2020) ने अपने शोध पत्र में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता का अध्ययन किया है। यह शोध वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध प्रविधि पर आधारित है। इसमें श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के 13 वार्डों से साधारण यादृच्छिक विधि के माध्यम से केवल 100 महिलाओं का चयन किया गया है। शोध निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ है, कि अधिकांष महिलाओं ने हाईस्कूल स्तर तक षिक्षा प्राप्त ही है। अधिकतर महिलाओं का यह मत है कि महिलाओं के साथ हिंसा एक दण्डनीय अपराध है। साथ ही 73 प्रतिशत महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान है तथा हिंसा विरुद्ध कानूनी अधिकारों का उपयोग

करना जानती हैं और 12 प्रतिशत अपने कानूनी एवं मौलिक अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं है। 62 प्रतिषत महिलाओं ने मादक पदार्थों के सेवन को उनके साथ होने वाली हिंसा के लिए प्रमुख कारक माना है। हांलाकि 30 प्रतिशत महिलाएं ऐसा नहीं मानती। अन्य कारणों में महिलाओं का कम शिक्षित, कानूनी अधिनियमों का अज्ञानता आदि हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा महिला अधिकारों की जागरुकता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस प्रषासन को सहायता देनी चाहिए। कारण चाहें जो भी रहे, घरेलू हिंसा का प्रभाव महिलाओं पर ही अधिक पड़ता है न कि पुरुषों पर। घरेलू हिसां का सर्वाधिक गम्भीर परिणाम स्त्रियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। यह उन सभी समझौतों का उल्लंघन है जो स्त्रियों के साथ मानवाधिकार की दृष्टि से समानता का व्यवहार करने का बल देते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित स्त्रियाँ अपने जीवनसाथी से दूरी बनाने लगती हैं, जिससे उनका लैगिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अनेक स्त्रियाँ तलाक एवं पृथक् रहने हेतु प्रयास करती हैं, जिसका उनके बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पति द्वारा क्रूरता की षिकार अनेक पत्नियाँ गुमसुम रहने लगती हैं तथा भावनात्मक रूप से परेशान रहती हैं। मनौवैज्ञानिक दे॑ष्टि से टूटी हुई इस प्रकार की स्त्रियाँ अपने जीवन से परेषान हो जाती हैं तथा कई बार तो आत्महत्या तक कर लेती हैं। भारत सहित अनेक देशों में विवाहित स्त्रियों में आत्महत्या की बढ़ती दर का कारण घरेलू हिंसा ही है। घरेलू हिंसा से पीड़ित कामकाजी स्त्री कार्यस्थल पर भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती और कई बार तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी घरेलू हिंसा से पीड़ित स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक चोट, अनचाहा गर्भ, गर्भपात, यौनिक समस्याएँ, यौन विकृति, सिरदर्द आदि इस प्रकार के प्रभावों के उदाहरण हैं जो अन्ततः उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से कुण्ठित बना देते हैं।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, विनिता (2019). समाजशास्त्र। एस.एस.बी.डी. पब्लिकेशन, आगरा।
2. आहूजा राम. (2010) सामाजिक समस्याएं। रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. उषा, तलवार. (1984), सोशल प्रोफाइल ऑफ इण्डियन विमेन । जैन ब्रदर्स, जोधपुर।
4. खण्डेला, मानचन्द (2000), महिला सशक्तिकरण । अरिहन्त पब्लिकेशन हाउस, जयपुर।
5. जैन एवं अन्य (2018). घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकारः गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन । जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कालर्ली रिसर्चस् इन एलाइड एजुकेषन, वॉल्यूम–105 (03): 166–169।
6. मेनन, एल. (1957), वुमेन इन इण्डिया एण्ड अब्राड तारा अभी बेगसः वुमेन ऑफ इण्डिया। दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन, दिल्ली ।
7. यादव, वीरेन्द्र सिंह (2010) समकालीन परिवेश : विकल्प नीतियाँ और सुझाव । नमन प्रकाशन नई दिल्ली।
8. रॉय, ए0 के0 एवं अन्य (2015). क्राइम अगेंस्ट वुमन । जर्नल ऑफ इवोल्युशन ऑफ मेडिकल एण्ड डेन्टल साइंस, वॉल्युम – 4(39) : 6860।